



उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
Uttarakhand Commission For Protection Of Child Rights
(संसद द्वारा पारित कानून सीपीसीआर 2005 के अंतर्गत)
(Under the act CPCR 2005 passed by parliament)

पत्रांक: 139) /SCPCR.UK/ 2022-23


दिनांक: 01 नवम्बर, 2022

समय विस्तार हेतु संशोधित विज्ञापित

बाल विधायक-बाल विधान सभा, उत्तराखण्ड-2022 के चयन हेतु नामांकन
आमंत्रण/विज्ञापित

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के समस्त बालक/बालिकाओं को बाल विधान सभा-2022 में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से दि० 24.09.2022 के अंक में विभिन्न समाचार पत्रों (अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान व राष्ट्रीय सहारा) में पत्रांक-1200/SCPCR.UK/2022-23 दिनांक 23.09.2022 शीर्षक "बाल विधायक-बाल विधानसभा, उत्तराखण्ड-2022 के चयन हेतु नामांकन आमंत्रण/विज्ञापित" प्रकाशित करवायी गयी। आवेदकों को प्रारूप के साथ 500 शब्द का एक निबन्ध लिखना होगा, जिसके दो भागों में एक भाग 250 शब्दों का लिखना होगा, इस प्रकार है शीर्षक कि "आप अपने आपको बाल विधायक के लिए क्यों उपयुक्त समझते हैं", तथा जिसका दूसरा भाग 250 शब्द यह होगा कि "यदि आप बाल विधायक चयनित हो जाते हैं, तो बच्चों के अधिकारों के लिए क्या कार्य करेंगे?" निबंध एवं प्रारूप भेजने की अन्तिम तिथि 01 नवम्बर, 2022 निर्धारित की थी। एतद् द्वारा राज्य के समस्त जनपदों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त प्रकाशित विज्ञापित की तिथि को अग्रेत्तर दिनांक 05.11.2022 तक बढ़ाते हुए नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं।

- निबंध एवं प्रारूप (सुस्पष्ट) आयोग की ई-मेल-uscpcr.events@gmail.com अथवा पता-सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नन्दा की चौकी, पो0 औ0 चन्दनवाड़ी, विकासनगर रोड़, देहरादून-248007 पर डाक या दस्ती (किसी भी कार्यालय दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक) द्वारा भी भेजे या प्राप्त करवाये जा सकते हैं।
- उक्त प्रारूप आयोग की वेबसाइट-scpcruk.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05 नवम्बर, 2022 है।
- अधिक जानकारी के लिए आयोग के मो० नं०-9258127046, फोन नं०-0135-2972450 पर सम्पर्क करें।


(एस० के० त्रिपाठी)
अनुसचिव/सचिव (प्रभारी)



उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
Uttarakhand Commission For Protection Of Child Rights

(संसद द्वारा पारित कानून सीपीसीआर 2005 के अंतर्गत)
(Under the act CPCR 2005 passed by parliament)

प्रारूप

1. आवेदनकर्ता बालक/बालिका का नाम
 2. बालक/बालिका की जन्म तिथि.....
(बालक या बालिका जिसकी उम्र 01 अप्रैल 2022 को 14 से 18 वर्ष के बीच हो)
 3. बालक/बालिका अध्ययनरत हैं अथवा नहीं? (यदि हैं तो स्कूल का नाम)
 4. अभिभावक का नाम एवं पता
 5. प्रतिभाग के लिये अभिभावक की सहमति है अथवा नहीं
 6. अभिभावक का सम्पर्क नं०
 7. बालक/बालिका एवं अभिभावक के हस्ताक्षर.....
 8. बालक/बालिका आवेदन पत्र के साथ स्वयं की हस्तलिपि या टाईप कर के कुल 500 शब्दों का एक निबंध प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लगभग 250 शब्द इस आशय से लिखेंगे कि "आप अपने आपको बाल विधायक के लिए क्यों उपयुक्त समझते हैं", तथा जिसका दूसरा भाग 250 शब्द यह होगा कि "यदि आप बाल विधायक चयनित हो जाते हैं, तो बच्चों के अधिकारों के लिए क्या कार्य करेंगे?"
- निबंध एवं प्रारूप (सुसपष्ट) आयोग की ई-मेल-uscpcr.events@gmail.com अथवा पता-सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नन्दा की चौकी, पो० औ० चन्दनवाड़ी, विकासनगर रोड, देहरादून-248007 पर डाक या दस्ती (किसी भी कार्यालय दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक) द्वारा भी भेजे या प्राप्त करवाये जा सकते हैं।
 - उक्त प्रारूप आयोग की वेबसाइट-scpcruk.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05 नवम्बर, 2022 है।
 - अधिक जानकारी के लिए आयोग के मो० नं०-9258127046, फोन नं०-0135-2972450 पर सम्पर्क करें।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम व दिनांक सहित)